

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

जुगलकिशोर बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी गु०न० 187 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/300

तारीख
हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

01-05-2025

हुकम या कार्यवाही मय इन्शियल्स जज

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।

(Handwritten signature)

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सध
आज अदालत कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेश
दिनांक 16/7/25 को पेश हो।

16/7. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सध
आज अदालत कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेश
दिनांक 23/9/25 को पेश हो।

06/08/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज पेश हुई। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2024 को करवा लिया है। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 26.06.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 26.06.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी




स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि :-

आदेश



तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 382 रकबा 0.76 है० में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 26.06.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना (राज.)